

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	श्रावण 9, गुरुवार, शाके 1936—जुलाई 31, 2014 <i>Sravana 9, Thursday, Saka 1936-July 31, 2014</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 31, 2014

संख्या प. 2 (33) विधि/2/2014:—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 31 जुलाई, 2014 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान वित्त विधेयक, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 14)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 31 जुलाई, 2014 को प्राप्त हुई]

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने एवं कतिपय अन्य प्रावधान करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान राज्य में कतिपय वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर अवसंरचना विकास उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 है।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45 और 46 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. **2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.-** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दो लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. **2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 16 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) में विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) के पूर्व निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) किसी व्यवहारी ने उसके कारबार के मुख्य स्थान पर कारबार बंद कर दिया हो; या"।

5. **2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 18 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 18 में विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन आगत कर मुजरा केवल विक्रय व्यवहारी द्वारा, ऐसी रीति से जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाये, संदेय कर के जमा होने के सत्यापन के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जायेगा।"

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 में,-

- (i) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "छह प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) उप-धारा (2क) हटायी जायेगी।

7. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 22 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 22 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) इस धारा के अधीन कोई भी आदेश उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के पश्चात् पारित नहीं किया जायेगा।"

8. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"23. स्वनिर्धारण.- प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने उस वर्ष के लिये, धारा 21 के उपबंधों के अनुसार समस्त विवरणियां प्रस्तुत कर दी हैं, या धारा 73 के उपबंधों में यथा-अनुध्यात लेखापरीक्षा रिपोर्ट, धारा 21 के उपबंधों के अनुसार समस्त विवरणियों सहित धारा 24 की उप-धारा (2) के अधीन किसी सूचना के जारी होने से पूर्व प्रस्तुत कर दी है, वह धारा 24 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, ऐसी विवरणियों या, यथास्थिति, ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।"

9. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"24. निर्धारण.- (1) किसी व्यवहारी का निर्धारण एक वर्ष के लिए होगा और उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दिये जाने की अंतिम तारीख के पश्चात् किया जायेगा। तथापि, बंद कारबार का निर्धारण इसके बंद किये जाने के तुरंत पश्चात् किया जा सकेगा।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा दी गयी प्रत्येक विवरणी उसके सही होने का सत्यापन करने के लिए ऐसी संवीक्षा के अध्यक्षीन होगी, जो आयुक्त द्वारा अवधारित की जाये और यदि किसी विवरणी या विवरणियों में गलती का पता चलता है तो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, गलतियों का सुधार करने के लिये व्यवहारी को विहित प्ररूप में एक नोटिस तामील करेगा और व्यवहारी ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, पुनरीक्षित विवरणी फाइल कर सकेगा।

(3) जहां कोई व्यवहारी, उप-धारा (2) के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण में,-

(क) नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी या, यथास्थिति, विवरणियां देता है और कर, ब्याज, विलम्ब फीस, यदि कोई हो, निक्षिप्त कराता है वहां उसे धारा 23 के अधीन निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा;

(ख) पुनरीक्षित विवरणी या, यथास्थिति, विवरणियां नहीं देता है, या व्यवहारी द्वारा दी गयी पुनरीक्षित विवरणी या, यथास्थिति, विवरणियां नोटिस के निबंधनों के अनुसार नहीं है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।

(4) जहां कोई व्यवहारी धारा 21 के उपबंधों के अनुसार विवरणी देने में विफल रहता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या

आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा और विवरणियां फाईल नहीं करने के लिए न्यूनतम पांच हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, शुद्ध संदेय कर के बीस प्रतिशत के बराबर रकम की शास्ति अधिरोपित करेगा।

(5) इस धारा के अधीन कोई भी निर्धारण आदेश सुसंगत वर्ष के समाप्त होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा। तथापि, आयुक्त, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी विशेष मामले में ऐसी समय-सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(6) उप-धारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन, किसी निर्धारण से संबंधित कोई कार्यवाही कर बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकरण के समक्ष, न्यायनिर्णयन के अध्यक्षीन है, वहां ऐसे मामलों में निर्धारण, ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम न्यायनिर्णयन से दो वर्ष के भीतर-भीतर पारित किया जा सकेगा। दो वर्ष की परिसीमा की गणना निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे अंतिम न्यायनिर्णयन के आदेश के संसूचना की तारीख से की जायेगी।"

10. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 25 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25 में विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, वहां ऐसा नोटिस जारी करने वाला प्राधिकारी सुसंगत वर्ष के लिए निर्धारण करने के लिए सक्षम होगा।

(5) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी नोटिस सुसंगत वर्ष की समाप्ति से पांच वर्षों की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं किया जायेगा।

(6) उप-धारा (3) और (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां निर्धारण से संबंधित कोई कार्यवाही कर बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष न्यायनिर्णयन के अध्यक्षीन है, वहां ऐसे मामलों में निर्धारण ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम न्यायनिर्णयन से दो वर्ष के भीतर-भीतर पारित किया जा सकेगा। दो वर्ष की परिसीमा की संगणना ऐसे अंतिम न्यायनिर्णयन के आदेश की निर्धारण प्राधिकारी को संसूचना की तारीख से की जायेगी।"।

11. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 26 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 26 में,-

- (i) उप-धारा (1) का विद्यमान स्पष्टीकरण हटाया जायेगा; और
- (ii) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) सुसंगत वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उप-धारा (1) के अधीन का कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जायेगा, और आठ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई भी निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(3क) उपर्युक्त उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण से संबंधित कोई कार्यवाही कर बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के न्यायनिर्णयन के अधीन हो तो ऐसे मामलों में निर्धारण ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम न्यायनिर्णयन से दो वर्ष के भीतर-भीतर पारित किया जा सकेगा। दो वर्ष की परिसीमा की गणना ऐसे अंतिम न्यायनिर्णयन आदेश के निर्धारण प्राधिकारी को संसूचना की तारीख से की जायेगी।"।

12. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 27 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 27 में विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(6) सुसंगत वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उप-धारा (4) के अधीन कोई नोटिस जारी नहीं किया जायेगा और आठ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई भी निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(7) उप-धारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां निर्धारण से संबंधित कोई कार्यवाही कर बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के न्यायनिर्णयन के अधीन हो तो ऐसे मामले में निर्धारण ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम न्यायनिर्णयन से दो वर्ष के भीतर-भीतर पारित किया जा सकेगा। दो वर्ष की परिसीमा की गणना ऐसे अंतिम न्यायनिर्णयन आदेश के निर्धारण प्राधिकारी को संसूचना की तारीख से की जायेगी।"

13. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 38 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 38 की विद्यमान उप-धारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(7) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के अधीन रूग्ण घोषित किसी रूग्ण औद्योगिक इकाई द्वारा संदेय मांग की वसूली को, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी शर्तों पर, ब्याज के संदाय या दर के संबंध में ऐसी सीमा तक, आस्थगित कर सकेगी, जो उचित समझी जाये।"

14. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 में धारा 51ख का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 51क के पश्चात् और विद्यमान धारा 52 के पूर्व निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"51ख. कर की रिबेट.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से, ऐसे व्यवहारियों या व्यवहारियों के वर्ग को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, कर की पूरी रकम तक रिबेट अनुज्ञात कर सकेगा।"

15. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) जहां किसी रकम का प्रतिदाय किसी व्यवहारी को देय हो जाये, वहां वह प्रतिदाय की रकम के अतिरिक्त, उस वर्ष, जिससे कि वह संबंधित है, के ठीक पश्चात्पूर्वी वर्ष की 1 अप्रैल से संदाय की तारीख तक ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु जहां व्यवहारी ने वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कर की कोई रकम संदत्त कर दी है और ऐसी रकम प्रतिदत्त की जानी अपेक्षित है वहां ऐसी रकम के जमा किये जाने की तारीख से पूर्व की कालावधि पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा।"

16. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 61 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 61 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) जहां किसी व्यवहारी ने-

(क) उसके द्वारा दी गयी किसी विवरणी में माल के विक्रय का कराधेय पण्यावर्त इस अधिनियम के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट कर की दर की बजाय कर की निम्नतर दर पर प्रकट किया है या उसके द्वारा दी गयी विवरणी में उसने जानबूझकर अन्यथा गलत विशिष्टियां दी हों; या

- (ख) इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संधारित किये जाने के लिए अपेक्षित अपने लेखाओं, रजिस्ट्रों या दस्तावेजों में विक्रय या क्रय के किसी भी संव्यवहार को, इस अधिनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कर की दर की अपेक्षा निम्नतर दर से समाविष्ट की हो; या
- (ग) उसके द्वारा दी गयी किसी भी विवरणी से कोई भी विशिष्टियां छिपा ली हों; या
- (घ) इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संधारित किये जाने के लिए अपेक्षित अपने लेखाओं रजिस्ट्रों या दस्तावेजों में विक्रय या क्रय के कोई भी संव्यवहार छिपाये हों; या
- (ङ) इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन यथा अपेक्षित स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराने में विफल रहता है और कर का परिवर्जन किया हो; या
- (च) किसी भी अन्य रीति से कर का परिवर्जन या अपवंचन किया हो,

वहां निर्धारण प्राधिकारी या सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी, जो आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाये, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, उस पर शास्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त परिवर्जित या अपवंचित कर की रकम के दोगुने के बराबर राशि उस पर अधिरोपित करेगा।"

17. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 67 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा और खण्ड (ख), (ग), (घ), (छ) और (झ) के अधीन आने वाले अपराधों के लिए तीन मास के सादा कारावास के न्यूनतम दण्डादेश से दण्डनीय होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति-

- "(I) खण्ड (ग) या (झ) के अधीन वर्णित अपराधों के लिए या ऐसे अपराधों के लिए जहां खण्ड (घ) के अधीन मांग नोटिस की रकम एक करोड़ रुपये से अधिक हो, वहां ऐसी अवधि के सादा कारावास से जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा किन्तु न्यूनतम दण्डादेश छह मास के सादा कारावास और पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा; और
- (II) खण्ड (I) के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य अपराधों के लिए ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।"

प्रतिस्थापित की जायेगी।

18. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 91 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 91 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"91. आयुक्त की साधारण शक्तियां.- (1) आयुक्त, इस अधिनियम के निष्पादन में नियोजित समस्त अधिकारियों और व्यक्तियों को समय-समय पर ऐसे आदेश, अनुदेश और निदेश जारी कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के प्रशासन के लिए ठीक समझे और ऐसे समस्त अधिकारी और व्यक्ति आयुक्त के ऐसे आदेशों, अनुदेशों और निदेशों का पालन और अनुसरण करेंगे।

(2) शासकीय उपयोग के प्रयोजनों के लिए आयुक्त, किसी भी समाचार पत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो वह उचित समझे, नोटिस देकर सभी व्यवहारियों से या व्यवहारियों के किसी भी वर्ग से या व्यक्तियों से ऐसी सूचना, विवरण या विवरणी देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो इस निमित्त जारी किये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये।

(3) उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये ऐसे कोई भी आदेश, अनुदेश, निदेश जारी नहीं किये जायेंगे जो किसी अपील प्राधिकारी के उसके अपीलीय कृत्यों के प्रयोग के विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करते हों।

(4) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयुक्त स्वप्रेरणा से या इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा आवेदन करने पर, निर्धारणों और राजस्व के संग्रहण के कार्य में एकरूपता बनाये रखने के प्रयोजन के लिए, यदि वह ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है तो इस अधिनियम के अधीन दायी माल के संबंध में इस अधिनियम के अधीन संदेय कर की दर स्पष्ट कर सकेगा और इस अधिनियम के निष्पादन में नियोजित समस्त अधिकारी और व्यक्ति ऐसे स्पष्टीकरण का पालन और अनुसरण करेंगे।

(5) उप-धारा (4) के अधीन ऐसा कोई भी आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि इसके साथ ऐसी फीस, जो ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, संदत्त की जाये के संदाय का सबूत संलग्न न हो।"

19. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 95 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 95 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) जहां किसी व्यवहारी या उसके कारबार प्रबंधक द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की राजकीय वेबसाइट के माध्यम से कोई विवरणी, आवेदन, संसूचना या सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाती है, वहां ऐसी विवरणी, आवेदन, संसूचना या सूचना उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी समझी जायेगी यदि उस व्यवहारी या कारबार प्रबंधक या व्यक्ति ने विहित रीति से ई-फाईलिंग के लिए वेबसाइट का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति दी है:

परन्तु ऐसा व्यवहारी या कारबार प्रबंधक या व्यक्ति जिसने विभाग की राजकीय वेबसाइट का उपयोग करने की सहमति दी हो, वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किये गये ऐसे ई-दस्तावेजों को अस्वीकार या उनका प्रत्याख्यान नहीं करेगा।

(3) जहां कोई नोटिस, संसूचना या सूचना किसी व्यवहारी या उसके कारबार प्रबंधक या अन्य व्यक्ति पर

वाणिज्यिक कर विभाग की राजकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से तामील की जाती है तो उक्त नोटिस, संसूचना या सूचना केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि यह व्यक्तिगत रूप में हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित नहीं है या यह समुचित रूप से तामील नहीं हुई है।"।

20. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 96 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 96, दिनांक 5 अक्टूबर, 2014 से हटायी जायेगी।

अध्याय 3

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में संशोधन

21. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 12 का संशोधन.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12 में,-

- (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो," प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो," प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (iii) उप-धारा (7) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य

कोई अधिकारी जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो," प्रतिस्थापित की जायेगी।

22. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे कर या मांग की रकम के दो प्रतिशत की दर से" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "ऐसी दर से जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये," प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 4

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

23. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 3 के परंतुक के विद्यमान खण्ड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(3) जब राज्य सरकार का यह मत हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग द्वारा उपभुक्त ऊर्जा पर संदेय विद्युत शुल्क के संदाय से, चाहे भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से, बिना किसी शर्त के या ऐसी शर्त के साथ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी।"

अध्याय 5

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 में संशोधन

24. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है,-

- (i) विद्यमान खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(1) "ऐडेसेबुल सिस्टम" का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (डिवाइस) अथवा किसी समेकित प्रणाली में प्रयुक्त एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसके माध्यम से टेलीविजन संकेत और मूल्य परिवर्धित सेवाएं एन्क्रिप्टिड अथवा अनएन्क्रिप्टिड रूप में प्रेषित की जा सकती हैं, जिन्हें सेवा प्रदाता द्वारा ग्राहक की पसंद और अनुरोध पर प्रदत्त प्राधिकार की सीमाओं में ग्राहक के परिसर में उपकरण या उपकरणों द्वारा डिकोडिड किया जा सकेगा;

(1क) "प्रवेश" में, किसी दर्शक के रूप में या किसी श्रोता के रूप में प्रवेश और मनोविनोद के प्रयोजनार्थ किसी मनोरंजन में भाग लेने हेतु प्रवेश सम्मिलित है और केबल टेलीविजन नेटवर्क और डाइरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा के माध्यम से मनोरंजन के मामले में किसी ग्राहक को दिया गया प्रत्येक कनेक्शन, प्रवेश समझा जायेगा;"।

(ii) विद्यमान खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

(2) "किसी मनोरंजन में प्रवेश" के अंतर्गत किसी ऐसे स्थान पर प्रवेश भी है, जिसमें मनोरंजन का आयोजन किया गया हो और केबल सेवा और डाइरेक्ट-टू-होम (प्रसारण) सेवा के जरिए केबल कनेक्शन सहित या केबल कनेक्शन रहित मनोरंजन के मामले में, किसी ग्राहक को दिये गये प्रत्येक कनेक्शन को मनोरंजन में प्रवेश समझा जायेगा;"।

(iii) खण्ड (4क) निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4क) "डाइरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा" का अर्थ है किसी उपग्रह प्रणाली का उपयोग करते हुए बिना किसी मध्यस्थ या अन्य किसी माध्यम के, ग्राहकों को सीधे

मल्टी-चैनल टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों और समान विषय वस्तु का वितरण;"।

- (iv) खण्ड (6) निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(6) "मनोरंजन-कर" से वह कर अभिप्रेत है जो धारा 4 और 4क के अधीन उद्गृहीत और प्रभारित किया जाये और इसमें धारा 6क के अधीन संदेय अतिरिक्त कर सम्मिलित है।"

- (v) खण्ड (7) में,-

(i) उप-खण्ड (घ) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिन्ह ":" के स्थान पर विराम चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-खण्ड (घ) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ड) वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 32) के अधीन संदत्त सेवा कर को अपवर्जित करते हुए, केबल सेवा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अंशदान, अभिदान, प्रतिष्ठापन, संस्थापन या कनेक्शन शुल्क या कोई अन्य शुल्क, चाहे किसी भी रीति से संगृहीत किया गया हो, के रूप में किया गया कोई संदाय;

(च) वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 32) के अधीन संदत्त सेवा कर को अपवर्जित करते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई संदाय, जो केबल सेवा के माध्यम से या डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा के माध्यम से टेलीविजन संकेतों और मूल्य परिवर्धित सेवाओं के वितरण के लिए किसी

प्रकार के ऐड्रेसेबल सिस्टम, जो किसी टेलीविजन सेट, कम्प्यूटर प्रणाली को ग्राहक के परिसर के आवासीय या गैर आवासीय स्थान पर सीधे उपग्रह अथवा अन्य माध्यम से जोड़ता है, की सहायता से मनोरंजन के लिए अंशदान, अभिदान, प्रतिष्ठापन, संस्थापना अथवा कनेक्शन शुल्क अथवा वसूल किये गये किसी अन्य प्रकार के शुल्क के रूप में किया गया हो।"

- (vi) खण्ड (8) निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(8)"स्वत्वधारी" में, किसी मनोरंजन के संबंध में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होगा जो,-

- (क) मनोरंजन के किसी संगठन से जुड़ा हो, या
 - (ख) मनोरंजन में प्रवेश के कार्य से प्रभारित हो, या
 - (ग) उसके प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हो या तत्समय उसका प्रभारी हो, या
 - (घ) केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 13) की धारा 4, और भारतीय बेतार तार यान्त्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 17) के अधीन डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस रखने वाले और इसके अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 7) के अधीन पंजीकृत या लाइसेंस-प्राप्त केबल टेलीविजन संकेत एवं मूल्य परिवर्धित सेवा प्रदाता भी है;"
- (vii) विद्यमान खण्ड (11क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:- "(11क)

"ग्राहक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो टेलीविजन नेटवर्क और मूल्य परिवर्धित सेवाओं के संकेत किसी स्वत्वधारी से उस स्थान पर प्राप्त कर रहा है, जिसका उल्लेख उसने सेवा प्रदाता के समक्ष किया हो, और वह किसी अन्य व्यक्ति को संकेत पारेषित न कर रहा हो:

परन्तु केबल टेलीविजन नेटवर्क के संकेतों के आगे पारेषण के मामले में प्रत्येक कमरे या परिसर को जहां केबल टेलीविजन नेटवर्क के संकेत प्राप्त किये जा रहे हों, एक ग्राहक समझा जायेगा: परन्तु यह और कि डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण के मामले में, संकेत प्राप्त करने वाले प्रत्येक टेलीविजन सेट या कम्प्यूटर सेट को एक ग्राहक समझा जायेगा।"

25. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में, अभिव्यक्ति "किसी मनोरंजन स्थल में प्रवेश के लिए" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "समस्त संदायों पर" के पूर्व अभिव्यक्ति ", उस मनोरंजन जिस पर धारा 4 कक लागू होती है के अतिरिक्त", अन्तःस्थापित की जायेगी।

26. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 4कक का संशोधन.- (1) मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4कक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"4कक. केबल सेवा और डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा पर कर का उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, केबल सेवा और डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा या केबल सेवा के माध्यम से या एड्रसेबुल सिस्टम सहित या उससे रहित केबल टेलीविजन के माध्यम से किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिए सभी संदायों पर, ग्राहकों द्वारा, जिन पर धारा 4 लागू होती है, उनको छोड़कर, प्रत्येक ग्राहक के लिए प्रवेश के लिए संदाय के बीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर, जैसीकि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाये, मनोरंजन कर प्रभारित, उद्गृहीत और संदत्त किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार इस धारा के अधीन संदेय कर के लिए नियत रकम के रूप में कर की दर के रूप में ऐसी निश्चित रकम नियत कर सकेगी, जैसी कि अधिसूचित की जाये, किन्तु जो प्रति ग्राहक प्रतिमास, पचास रुपये या उसके भाग से अधिक नहीं होगी।

(3) उप-धारा (1) की कोई भी बात राज्य सरकार को किसी गृहस्थी के लिए या होटलों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए मनोरंजन कर की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित करने से प्रवारित नहीं करेगी।

(4) जहां ग्राहक कोई होटल या रेस्टोरेन्ट हो, वहां स्वत्वधारी उप-धारा (1) के अधीन संदाय के बजाय राज्य सरकार को एक समेकित संदाय, ऐसी शर्तों और ऐसी रीति से कर सकेगा जो विहित की जाये और ऐसी दर से जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे तथा भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के होटलों और रेस्टोरेन्टों के लिए समेकित संदायों की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकेंगी।"।

27. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 4ककक का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4ककक हटायी जायेगी।

28. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 5ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5ख की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति ",4ककक" हटायी जायेगी।

29. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 में,-

- (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "यह बताने वाला हो कि" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "समुचित मनोरंजन कर" के पूर्व अभिव्यक्ति "धारा 4 के अधीन संदेय" अन्तः स्थापित की जायेगी;
- (ii) उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इस अधिनियम" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन मनोरंजन" के पूर्व अभिव्यक्ति "की धारा 4" अन्तः स्थापित की जायेगी।

30. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"8. प्रतिदाय.- (1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्वत्वधारी या किसी व्यक्ति को कोई रकम प्रतिदेय हो तो विहित प्राधिकारी, ऐसी रकम की जमा के तथ्य को सम्यक् रूप से सत्यापित करने के पश्चात्, ऐसे स्वत्वधारी या व्यक्ति को ऐसी रकम विहित रीति से प्रतिदत्त करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रतिदेय रकम आवेदन की प्रस्तुति की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर प्रतिदत्त की जायेगी और यदि ऐसी रकम तीस दिवस की उपर्युक्त कालावधि के भीतर-भीतर प्रतिदत्त नहीं की जाती है तो, स्वत्वधारी, उपर्युक्त कालावधि के अवसान की तारीख की पश्चात्तर्वती तारीख से संदाय की तारीख तक, ऐसी दर पर जैसीकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) इस धारा में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल स्वत्वधारी या व्यक्ति, जिसने कर का भार वास्तविक रूप से सहन किया है या रकम संदत्त की है, प्रतिदाय का दावा कर सकता है और इस प्रकार सहन किये गये कर के भार को या इस प्रकार संदत्त रकम को साबित करने का भार प्रतिदाय का दावा करने वाले स्वत्वधारी या व्यक्ति पर होगा।"

31. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 9क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9क के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "4ककक" हटायी जायेगी।

32. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 10ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 10ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"10ख. केबल सेवा और डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा पर कर के असंदाय के लिए शास्ति.- जहां केबल सेवा उपलब्ध कराने वाला केबल नेटवर्क का कोई स्वत्वधारी या डायरेक्ट-टू-

होम प्रसारण सेवा का कोई स्वत्वधारी, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में जारी किये गये किसी आदेश या निदेश का पालन करने में विफल रहता है, वहां वह दोषसिद्धि पर, छह मास से अनधिक के साधारण कारावास या दो हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने, या दोनों, से दण्डनीय होगा।"।

अध्याय 6

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 में संशोधन

33. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 3 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंसठ प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 7

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

34. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (x) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xi) के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(x-क) "रियायत करार" से ऐसा कोई करार अभिप्रेत है जिसमें राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अन्य कानूनी संस्था द्वारा अधिकारों, भूमि या सम्पत्ति का, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, राज्य सरकार या किसी

स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की ऐसी आस्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्यिक आधार पर कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए, प्रदान किया जाना अंतर्वलित हो;";

(ii) विद्यमान खण्ड (xxi) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xxii) के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xxi-क) "इजाजत और अनुज्ञप्ति" से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है, जिसे चाहे इजाजत या अनुज्ञप्ति के नाम से या किसी अन्य नाम से जाना जाये, जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे को, या किसी निश्चित संख्या में अन्य व्यक्तियों को, प्रदाता की स्थावर संपत्ति में या पर ऐसी कोई बात करने या करते रहने का अधिकार, प्रदान करता है, जो ऐसे अधिकार के न होने पर विधिविरुद्ध होगी और ऐसा अधिकार सुखाचार या संपत्ति में कोई हित नहीं है;"; और

(iii) विद्यमान खण्ड (xxiii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xxiii) ऐसी किसी भी संपत्ति, जो लिखत की विषयवस्तु है, के संबंध में "बाजार मूल्य" से, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जो अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाये, अवधारित वह कीमत, जो ऐसी संपत्ति के लिए प्राप्त हुई होती या प्राप्त होगी, यदि उसे उक्त लिखत के निष्पादन की तारीख को खुले बाजार में बेचा जाये, या लिखत में कथित प्रतिफल, जो भी उच्चतर हो, अभिप्रेत है;";

35. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"4. स्टाम्प शुल्क का नकद संदाय.- (1) धारा 10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

- (i) स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखत किसी अस्टाम्पित कागज पर निष्पादित की जा सकेगी; और
- (ii) ऐसी लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क ऐसी रीति से संदत्त या संगृहीत किया जा सकेगा जैसीकि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन स्टाम्प शुल्क के संदाय का ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसाकि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे, इस प्रकार संदत्त स्टाम्प शुल्क की रकम को लिखत पर ऐसी रीति से पृष्ठांकित कर सकेगा, जैसीकि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे। (3) उप-धारा (2) के अधीन पृष्ठांकित कोई लिखत इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से स्टाम्पित समझी जायेगी और समस्त आशयों और समस्त प्रयोजनों के लिए उसका इसी रूप में उपयोग किया जा सकेगा या उस पर कार्रवाई की जा सकेगी।"

36. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 4-क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के पश्चात् और विद्यमान धारा 5 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"4-क. संदेय शुल्क, फीस या अधिभार या दी जाने वाली छूट में भिन्न का पूर्णांकन.- इस अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क, अधिभार या फीस की या दी जाने वाली छूट की रकम अवधारित करने में 10 रुपये की कोई भी भिन्न, जो 50 पैसे के बराबर या उससे अधिक हो, का पूर्णांकन अगले 10 रुपये में किया जायेगा और 50 पैसे से कम की कोई भी भिन्न हिसाब में नहीं ली जायेगी।"

37. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 के परन्तुक के खण्ड (क) के विद्यमान उप-खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(ii) जिस कालावधि के दौरान लिखत अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही है, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम पर, प्रतिमास या इसके भाग के लिए दो प्रतिशत की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति, किन्तु ऐसी शास्ति स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक नहीं होगी।"

38. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 43 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"43. धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन शास्ति प्रतिदत्त करने की कलक्टर की शक्ति.- जहां किसी लिखत की कोई प्रति जो केवल इस कारण परिबद्ध की गयी है कि वह धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखी गयी है, धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन कलक्टर को भेजी जाती है तो, वह ऐसी लिखत के संबंध में संदत्त पूरी शास्ति वापस लौटा सकेगा।"

39. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 44 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये की शास्ति, अथवा यदि वह ठीक समझता है तो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के दस गुने से अनधिक रकम, चाहे ऐसी रकम एक सौ रुपये से अधिक हो या कम हो," के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिस कालावधि के दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का

पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, किन्तु जो स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक नहीं होगी," प्रतिस्थापित की जायेगी।

40. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 51 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन लिखत के प्राप्त होने पर, कलक्टर पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और विहित रीति से जांच करने के पश्चात् बाजार मूल्य और जिस कालावधि के दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम पर, प्रतिमास या इसके भाग के लिए दो प्रतिशत की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी की पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, किन्तु स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक न हो, की शास्ति और उस पर संदेय अधिभार यदि कोई हो, सहित स्टाम्प शुल्क अवधारित करेगा, और यदि इस प्रकार अवधारित शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो, सहित स्टाम्प शुल्क की रकम पूर्व में संदत्त शास्ति और अधिभार सहित स्टाम्प शुल्क की रकम से अधिक हो तो वह कम रकम, शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो, सहित स्टाम्प शुल्क संदत्त करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा संदेय होगी।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(5) कलक्टर, उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य के सही होने के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति से या निष्पादक से या किसी भी अन्य

व्यक्ति से, उप-धारा (1) या (2) के अधीन उसे निर्दिष्ट न की गयी कोई भी लिखत स्वप्रेरणा से या उप-धारा (4) के अधीन किये गये निर्देश पर मंगवा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और यदि ऐसी परीक्षा के पश्चात् उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य लिखत में सही तौर पर उपवर्णित नहीं किया गया है तो वह, उप-धारा (3) में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार बाजार मूल्य और जिस कालावधि के दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम पर, प्रतिमास या इसके भाग के लिए दो प्रतिशत की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, किन्तु जो स्टाम्प शुल्क के दोगुने से अधिक नहीं होगी, की शास्ति के साथ-साथ संदेय स्टाम्प शुल्क की रकम अवधारित कर सकेगा, जो स्टाम्प शुल्क और शास्ति संदत्त करने के दायी व्यक्ति द्वारा संदेय होगी।"।

41. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 52-क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 52 के पश्चात् और विद्यमान धारा 53 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"52-क. एक पक्षीय आदेश पर पुनः विचार करना.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कलक्टर द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है वहां व्यथित व्यक्ति, ऐसे आदेश की उसको संसूचना होने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इस आधार पर कलक्टर को ऐसे आदेश पर पुनः विचार करने के लिए, आवेदन कर सकेगा कि उस मामले में उसको जारी की गयी सूचना या समन उसको प्राप्त नहीं हुए या कि उसे पर्याप्त कारण से उसको जारी की गयी किसी सूचना या समन का

पालन करने से निवारित किया गया था।(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन किये गये आवेदन में विनिर्दिष्ट आधार पर कलक्टर का समाधान हो जाये तो वह एक पक्षीय आदेश पर पुनः विचार करेगा और व्यथित व्यक्ति को सुनने के पश्चात् उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त करने की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।"।

42. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन दस्तावेज या लिखत के प्राप्त होने पर कलक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् दस्तावेज या लिखत का सही स्वरूप और कमी शुल्क की राशि पर उस अवधि के लिए जिसके दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही, प्रतिमास या उसके भाग के लिए दो प्रतिशत की दर से शास्ति या कमी स्टाम्प शुल्क का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, किन्तु कमी स्टाम्प शुल्क के दोगुने से अधिक न हो, और अधिभार, यदि कोई हो, सहित उस पर संदेय स्टाम्प शुल्क अवधारित करेगा और इस प्रकार अवधारित शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो, सहित संदत्त स्टाम्प शुल्क के या उसकी पूर्ति करने के लिए अपेक्षित रकम के संदाय की अपेक्षा कर सकेगा।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(5) कलक्टर, उस दस्तावेज या लिखत के स्वरूप के संबंध में उसके सही होने के बारे में स्वयं

का समाधान करने के प्रयोजनार्थ उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति से या निष्पादक से या किसी भी अन्य व्यक्ति से, उप-धारा (1) या (2) के अधीन उसे निर्दिष्ट न किया गया कोई भी दस्तावेज या लिखत, जो रजिस्ट्रीकृत कर दी गयी है और निष्पादक को या किसी भी अन्य व्यक्ति को वापस कर दी गयी है, स्वप्रेरणा से या उप-धारा (4) के अधीन या अन्यथा किये गये निर्देश पर मंगवा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और पक्षकारों को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि दस्तावेज या लिखत का स्वरूप सही तौर पर उल्लिखित या अवधारित नहीं किया गया था, तो वह उस दस्तावेज या लिखत का सही स्वरूप और उस पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, कमी शुल्क की रकम पर, ऐसी कालावधि के लिए जिसके दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही, प्रतिमास या इसके भाग के लिए दो प्रतिशत की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी की पच्चीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, किन्तु स्टाम्प शुल्क के दोगुने से अधिक नहीं होगी, की शास्ति के साथ-साथ उस पर संदेय स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, सहित इस प्रकार अवधारित स्टाम्प शुल्क या उसकी पूर्ति करने के लिए अपेक्षित रकम के संदाय की अपेक्षा कर सकेगा।"

43. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में नयी धारा 56-क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 56 के पश्चात् और विद्यमान धारा 57 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"56-क. ब्याज और शास्ति को कम करने या अधित्यजन करने की महानिरीक्षक स्टाम्प की शक्ति.- (1) इस

अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानिरीक्षक स्टाम्प किसी व्यतिक्रमी द्वारा इस निमित्त किये गये आवेदन पर ब्याज या शास्ति या दोनों की रकम को पच्चीस हजार रुपये की अधिकतम सीमा तक कम कर सकेगा या उसका अधित्यजन कर सकेगा, यदि वह व्यतिक्रमी ऐसे आदेश से तीस दिवस के भीतर-भीतर इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदत्त किए जाने वाले शुल्कों, शास्तियों, ब्याज और किन्हीं अन्य राशियों की शेष रकम जमा करने के लिए सहमत हो जाता है।

(2) यदि व्यतिक्रमी उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम जमा कराने में विफल हो जाता है तो उप-धारा (1) के अधीन पारित कम करने या अधित्यजन करने का आदेश तीस दिवस की पूर्वोक्त कालावधि की समाप्ति पर प्रत्याहृत हो जायेगा।"

44. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 72 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 72 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"72. शुल्क, अधिभार या शास्ति पर ब्याज.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन (अवधारण, अपील, पुनरीक्षण, परिशुद्धि या अन्यथा सहित) किसी कार्यवाही में पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति से शुल्क या अधिभार की राशि वसूलीय है, वहां वह, ऐसी लिखत के निष्पादन की तारीख से लेकर जब तक उक्त रकम का संदाय नहीं कर दिया जाता तब तक, शुल्क या अधिभार की रकम पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि दर से ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति से शास्ति की कोई रकम वसूलीय है वहां वह ऐसे आदेश की तारीख से ऐसी राशि के संदाय की तारीख तक ऐसी शास्ति की रकम पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि दर से ब्याज का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा।"

45. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 5 के विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(च) यदि किसी उत्पाद के प्रोत्साहन के लिए किये गए किसी विज्ञापन; या उसमें से लाभ प्राप्त करने या कारबार करने के आशय से कार्यक्रम या इवेण्ट से संबंधित है,-	
यदि करार की गई रकम दस लाख रुपये से अधिक नहीं है;	न्यूनतम 100 रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, संविदा में करार की गई प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग की रकम पर दो रुपये पचास पैसे।
अन्य किसी मामले में,	संविदा में करार की गई रकम पर प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग पर पांच रुपये।
"(चच) यदि किसी इवेण्ट या फिल्म को टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट करने या उसका प्रदर्शन करने के अनन्य अधिकार प्रदान करने से संबंधित है,-	
यदि करार की गई रकम दस लाख रुपये से अधिक नहीं है;	न्यूनतम 100 रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, संविदा में करार की गई प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग की रकम पर दो रुपये पचास पैसे।
अन्य किसी मामले में,	संविदा में करार की गई रकम पर प्रत्येक 1000 रुपये

	या उसके भाग पर पांच रुपये।";
--	------------------------------

- (ii) विद्यमान अनुच्छेद 5-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"5-क. किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा धारा 2 के खण्ड (क) और (xxxvii) में निर्दिष्ट किसी संगम या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कार्यान्वित संव्यवहार का अभिलेख (इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा),-	
(क) यदि सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय और क्रय से संबंधित हो।	प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए पचास रुपये।
(ख) यदि उपर्युक्त मद (क) के अधीन आने वाली से भिन्न प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय से संबंधित हो,-	
(i) परिदान के मामले में	प्रतिभूति के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।
(ii) अपरिदान के मामले में	प्रतिभूति के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।
(ग) यदि भावी और विकल्प व्यापार से संबंधित हो।	भावी और विकल्प व्यापार के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।
(घ) यदि किसी संगम के माध्यम से या अन्यथा व्यापार की गयी वस्तुओं	अग्रिम संविदा के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।

की अग्रिम संविदा से संबंधित हो।	
स्पष्टीकरण.- खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए प्रतिभूति का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में परिभाषित है।";	

(iii) विद्यमान अनुच्छेद 20 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 21 के पूर्व निम्नलिखित नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"20-क. धारा 2(x-क) द्वारा यथापरिभाषित रियायत करार	(i) 2 लाख रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपये तक हो;
स्पष्टीकरण.- इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 14) के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व निष्पादित रियायत करार, इस अनुच्छेद के अधीन प्रभार्य होगा और ऐसे प्रारम्भ के तीस दिवस के भीतर-भीतर स्टाम्पित किया जायेगा।	(ii) 10 लाख रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपये तक है किन्तु 50 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (iii) 40 लाख रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 200 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (iv) 1 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 200 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 500 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (v) 2 करोड़ रुपये, जहां

	<p>कुल पूंजी निवेश 500 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 1000 करोड़ रुपये से अधिक न हो;</p> <p>(vi) 5 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 1000 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 2500 करोड़ रुपये से अधिक न हो;</p> <p>(vii) 10 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 2500 करोड़ रुपये से अधिक हो।";</p>
--	--

(iv) अनुच्छेद 21 के विद्यमान खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

<p>"(iii) यदि किसी कंपनी के आमेलन, डीमर्जर (Demerger) या पुनर्गठन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो,-</p>	<p>अन्तरक कंपनी की सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति के मूल्य से अंतरक कंपनी की राजस्थान राज्य में स्थित स्थावर सम्पत्ति के अनुपात के बराबर अंतरक कंपनी के शुद्ध मूल्य के उस भाग पर दो प्रतिशत; लिखत पर अन्यत्र संदत्त स्टाम्प ड्यूटी, यदि कोई हो, के अतिरिक्त;"।</p>
---	--

(v) अनुच्छेद 21 के विद्यमान खण्ड (iii) के पश्चात् और "छूट" के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

<p>"(iv) यदि वह अन्तरणीय विकास अधिकारों</p>	<p>ऐसे अन्तरणीय विकास अधिकारों के प्रति सम्पत्ति के</p>
---	---

(टीडीआर) से संबंधित है	संबंधित भाग के बाजार मूल्य के समान अन्तरणीय विकास अधिकारों के बाजार मूल्य पर पांच प्रतिशत, जो हस्तान्तरण विलेख की विषय वस्तु है; या ऐसे हस्तान्तरण विलेख के लिए प्रतिफल है; जो भी अधिक हो।";
------------------------	--

- (vi) अनुच्छेद 21 का विद्यमान स्पष्टीकरण (ii) हटाया जायेगा; और
- (vii) विद्यमान अनुच्छेद 33 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 34 के पूर्व निम्नलिखित नया अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"33-क. आवासीय संपत्ति से भिन्न स्थावर संपत्ति से संबंधित इजाजत और अनुज्ञप्ति करार।	कालावधि, जिसके लिए ऐसी इजाजत और अनुज्ञप्ति करार निष्पादित किया गया है, को विचार में लिये बिना, संदेय या परिदेय संपूर्ण रकम पर और जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन की कुल रकम पर प्रति सौ रुपये या उसके भाग पर एक रुपया।"
--	---

अध्याय 8

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

46. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-घ का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा

गया है, की विद्यमान धारा 4-घ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"4-घ. ग्रीन कर का उद्गृहण.- (1) इस अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग के अधीन उद्गृहीत कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट, सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त ऐसे यानों पर, स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे समय पर, इस सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अनधिक ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जायें, "ग्रीन कर" के नाम से एक उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा।

सारणी

क्र.सं.	यान का वर्ग	समय	उपकर की अधिकतम दर (रूपये में)
1	2	3	4
1.	गैर-परिवहन यान		
	(क) दुपहिया	मोटर यान	1000
	(ख) डीजल से चालित चार पहियों वाले यान	अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन	5000
	i. 1500 सीसी तक इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान	रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम,	10000
	ii. 1500 सीसी से अधिक और 2000 सीसी तक इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान		10000
	iii. 2000 सीसी से अधिक		10000

	इंजिन क्षमता और पांच सीट क्षमता तक वाले हल्के मोटर यान	1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 की उप-धारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के समय।	25000
IV.	2000 सीसी से अधिक इंजिन क्षमता और पांच से अधिक सीट क्षमता वाले हल्के मोटर यान।		
(ग)	पेट्रोल/तरल पेट्रोल गैस से चालित चार पहियों वाले यान:		
I.	1500 सीसी तक की इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान		2000
II.	1500 सीसी से अधिक और 2000 सीसी तक की इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान		2500
III.	2000 सीसी से अधिक की इंजिन क्षमता और पांच सीट तक क्षमता वाले हल्के मोटर यान		3000
IV.	2000 सीसी से अधिक की इंजिन क्षमता और पांच से अधिक सीट क्षमता वाले हल्के मोटर यान		5000
(घ)	उपर्युक्त ईंधन चालित		1000

		चार पहियों वाले यानों से भिन्न यान		
	(ड.)	अन्य गैर-परिवहन यान		2000
2.	परिवहन यान	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 56 के अधीन सही हालत में होने के प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के समय।		2000

(2) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, उनको छोड़कर जो कर के प्रतिदाय से संबंधित हैं, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।"

47. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में,

- (i) द्वितीय परन्तुक की विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "छह" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान तृतीय परन्तुक हटाया जायेगा।

अध्याय 9

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में संशोधन

48. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 25 का हटाया जाना.- राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं. 2), जिसे इसमें इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 25 हटायी जायेगी।

49. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 42 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 42 के खण्ड (ज) में, अन्त में आए विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, विराम चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(झ) किसी भी प्रकार के कच्चे माल से आबकारी योग्य वस्तुओं के उत्पादन के मानकों को विहित करना।"

50. 1950 के अधिनियम सं. 2 में धारा 62क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 62 के पश्चात् और विद्यमान धारा 63 के पूर्व, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"62क. कम्पनी द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, जो किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु जहां किसी कंपनी के भिन्न-भिन्न स्थापन या शाखाएं हैं या किसी स्थापन या शाखा में भिन्न-भिन्न यूनितें हैं वहां संबद्ध प्रमुख या कंपनी द्वारा आबकारी योग्य वस्तुओं के

लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में नामनिर्देशित ऐसे स्थापन या शाखा या यूनिट का भारसाधक व्यक्ति ऐसे स्थापन, शाखा या यूनिट की बाबत उल्लंघन के लिए दायी होगा:

परन्तु यह और कि इस उप-धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित दंड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और
- (ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।"

51. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 67 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

- "(क) धारा 54 या धारा 54ख या धारा 54घ या धारा 57 या धारा 59 या धारा 62क या धारा 63 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान अपनी स्वयं की

जानकारी या संदेह या किसी शिकायत या आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट के बिना नहीं करेगा; या"।

अध्याय 10

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में संशोधन

52. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (ट) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ठ) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(ट) "राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि" से धारा 6क के अधीन सृजित निधि अभिप्रेत है;"।

53. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 में धारा 6क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 6 के पश्चात् और विद्यमान धारा 7 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"6क. राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि.- (1) राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि" (जिसे इसमें आगे निधि कहा गया है) के नाम से राज्य के लोक लेखा में सृजित एक निधि होगी।

(2) किसी भी वर्ष में राज्य की कर प्राप्तियां, जिनमें स्वयं के कर और केन्द्रीय करों का हिस्सा समाविष्ट हो, और जो पूर्ववर्ती वर्ष से 17.5 प्रतिशत अधिक हों, और कोई भी अन्य राजस्व प्राप्तियां जो राज्य सरकार उचित समझे, राज्य विधान-मण्डल इस संबंध में यदि विधि द्वारा विनियोग का उपबंध करे तो, आगामी वर्ष में निधि में जमा की जायेंगी।

(3) निधि, राज्य सरकार द्वारा केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में ली जा सकेगी:-

- (क) किसी वर्ष, जिसमें राज्य की कर प्राप्तियां, जिनमें स्वयं के कर और केन्द्रीय करों का हिस्सा समाविष्ट हो, पूर्ववर्ती वर्ष से 10 प्रतिशत कम प्राक्कलित की जायें, किसी राजस्व या पूंजीगत व्यय की पूर्ति के लिए;
- (ख) विकास स्कीमों या गरीबी कम करने के कार्यक्रमों पर व्यय की पूर्ति के लिए।
- (4) निधि का उपयोग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा परिभाषित गैर-विकास या स्थापन व्यय की पूर्ति करने के लिए नहीं किया जायेगा।"

अध्याय 11

अवसंरचना विकास उपकर

54. प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अध्याय का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

55. परिभाषाएं.- (1) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "उपकर" से धारा 56 के अधीन उद्गृहीत अवसंरचना विकास उपकर अभिप्रेत है;
- (ख) "अवसंरचना" से, सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों, मेट्रो रेलों, विद्युत् उत्पादन संयंत्रों, पवन चक्कियों, सौर संयंत्रों, पारेषण और वितरण लाइनों, विद्युत् उप-केन्द्रों, जलापूर्ति प्रणाली, जल निष्पंदन और उपचार संयंत्रों, मल उपचार संयंत्रों, जल-निकास पाइप लाइनों, स्वच्छता सुविधाओं, सिंचाई संरचनाओं, सिंचाई नहरों और जलाशयों, जल संग्रहण और जल संरक्षण, औद्योगिक गलियारों, विनिधान और विनिर्माण जोन, विशेष आर्थिक जोन, शिक्षा और अनुसंधान, क्रीड़ा, स्वास्थ्य परिचर्या, पर्यटन, परिवहन से संबंधित परियोजनाएं और ऐसी अन्य

- स्कीमें या परियोजनाएं, जो कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, अभिप्रेत हैं;
- (ग) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों के द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (घ) "क्रय कीमत" से इस अध्याय के अधीन उपकर उद्गृहीत करने के प्रयोजनों से किसी व्यवहारी के द्वारा माल के क्रय के लिए, समस्त संदेय कानूनी उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए, प्रतिफल के रूप में संदेय रकम अभिप्रेत है; और

(2) इस अध्याय में प्रयुक्त परन्तु परिभाषित नहीं किये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वह अर्थ होगा जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) के अधीन उन्हें समनुदेशित है।

56. उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण.- (1) इस अध्याय के अन्य उपबंधों और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर, ऐसी दरों पर उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा, जो माल के विक्रय या क्रय कीमत के छह प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उप-धारा (1) में निर्दिष्ट माल के विक्रय या क्रय पर उद्ग्रहणीय किसी कर के अतिरिक्त होगा।

57. उपकर के आगमों का अनुप्रयोग.- इस अध्याय के अधीन उद्गृहीत उपकर के आगमों को, राज्य सरकार द्वारा यथा-अवधारित संग्रहण की लागत को कम करते हुए, यदि राज्य विधान-मण्डल इस निमित्त विधि द्वारा बनाये गये विनियोग द्वारा उपबंध करती है तो निम्नलिखित समस्त या किसी उद्देश्य के लिए, उपयोग में लाया जायेगा, अर्थात्:-

- (क) अवसंरचना का विकास; या

(ख) अवसंरचना परियोजनाओं का रखरखाव, नवीनीकरण या प्रबंधन; या

(ग) अवसंरचना विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण।

58. छूट देने की शक्ति.- यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा इस अध्याय के अधीन देय उपकर के संदाय से, चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से किसी शर्त के बिना या अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्त सहित, पूर्णतः या भागतः छूट दी जा सकेगी।

59. विवरणियों का दिया जाना.- प्रत्येक व्यक्ति ऐसी रीति से और ऐसे समय पर और विवरणियां दिये जाने में विलम्ब पर, ऐसी विलम्ब फीस सहित, जो पचास हजार रुपये से अधिक न हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जो विहित किया जाये, विवरणी देगा।

60. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबंधों का लागू होना.- जब तक इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित न हो, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) और तदधीन बनाये गये नियमों में निर्धारण, संग्रहण, ब्याज, शास्ति, वसूली, प्रतिदाय, अपील और पुनरीक्षण संबंधित उपबंध, इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहण किए जाने योग्य उपकर के संबंध में, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

61. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध किए जा सकेंगे-

- (क) वह रीति जिसमें उपकर के आगमों से संबंधित लेखा संधारित किये जायेंगे;
- (ख) वह रीति जिसमें उपकर के आगमों को धारा 57 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा;
- (ग) उपकर के संग्रहण की लागत का अवधारण; या

(घ) साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाये गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, ऐसे सत्र, जिनमें वे इस प्रकार रखे गये हैं, या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व, राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई भी नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो ऐसे नियम तत्पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण, तदधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, July 31, 2014

No. F. 2 (33) Vidhi/2/2014.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Vitta Adhiniyam, 2014 (2014 Ka Adhiniyam Sankhyank 14):-

**(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2014**

(Act No. 14 of 2014)

[Received the assent of the Governor on the 31st day of July, 2014]

An

Act

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990, the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957, the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999, the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951, the Rajasthan Excise Act, 1950, the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, and to provide for the levy and collection of infrastructure development cess on sale or purchase of certain goods in the State of Rajasthan, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2014-15 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2014.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45 and 46 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

3. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing expression “rupees two lacs”, the expression “rupees five lacs” shall be substituted.

4. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In sub-section (4) of section 16 of the principal Act, after the existing clause (a) and before the existing clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(aa) a dealer has discontinued business at his principal place of business; or”.

5. Amendment of section 18, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 18 of the principal Act, for the existing sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) The input tax credit under sub-section (1) shall be allowed only after verification of the deposit of tax payable by the selling dealer in the manner as may be notified by the Commissioner.”.

6. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 20 of the principal Act,-

(i) in sub-section (2), for the existing expression “six percent”, the expression “twenty percent” shall be substituted; and

(ii) the existing sub-section (2A) shall be deleted.

7. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing sub-section (4) of section 22 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(4) No order under this section shall be passed after the last date of submission of annual return for that year.”.

8. Amendment of section 23, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing section 23 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**23. Self Assessment.**- Every registered dealer who has furnished, all the returns under the provisions of section 21 or audit report as contemplated in section 73 along with all the returns under section 21, for the year, before issuance of any notice under sub-section (2) of section 24, shall, subject to the provisions of section 24, be deemed to have been assessed on the basis of such returns and such audit report, as the case may be.”

9. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing section 24 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**24. Assessment.**- (1) Assessment of a dealer shall be for a year and it shall be made after the last date of furnishing of annual return for the year. However, the assessment of a closed business may be made immediately after its closure.

(2) Every return furnished by a registered dealer shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Commissioner, to verify its correctness, and if any error is detected in any return or returns, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall serve a notice in the prescribed form to the dealer for rectification of the errors and the dealer may file a revised return within such period as specified therein.

(3) Where the dealer, in pursuance of the notice issued under sub-section (2),-

- (a) furnishes the revised return or returns, as the case may be, in terms of the notice and deposits the tax, interest, late fee, if any, he shall be deemed to have been assessed under section 23;
- (b) does not furnish revised return or returns, as the case may be, or the revised return or returns, as the case may be, furnished by the

dealer is not in terms of the notice, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner, after giving an opportunity of being heard to the dealer and after conducting such enquiry as he may consider necessary, shall assess the dealer to the best of his judgment on the basis of the material available on record.

(4) Where a dealer, fails to furnish return in accordance with the provisions of section 21, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner, after giving an opportunity of being heard to the dealer and after conducting such enquiry as he may consider necessary, shall assess the dealer to the best of his judgment on the basis of the material available on record and shall impose a penalty, for non-filing of returns, of an amount equal to twenty percent of the net tax payable subject to a minimum of five thousand rupees.

(5) No assessment order under this section shall be passed after the expiry of two years from the end of the relevant year. However, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extend such time limit in any particular case by a period not exceeding six months.

(6) Notwithstanding anything contained in subsection (5), where any proceeding relating to an assessment is subject to adjudication before the Tax Board or a competent court or any other authority under this Act, assessment in such matters may be passed within two years from the final adjudication of such proceedings. The limitation of two years shall be counted from the date of communication of the order of such final adjudication to the assessing authority.”.

10. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 25 of the principal Act, for the existing subsection (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where notice has been issued under sub-section (1), the authority issuing such notice shall be competent to make the assessment for the relevant year.

(5) No notice under sub-section (1) shall be issued after the expiry of five years from the end of the relevant year.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-sections (3) and (5), where any proceeding relating to an assessment is subject to adjudication before the Tax Board or a competent court or any other authority under this Act, assessment in such matters may be passed within two years from the final adjudication of such proceedings. The limitation of two years shall be counted from the date of communication of the order of such final adjudication to the assessing authority.”

11. Amendment of section 26, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 26 of the principal,-

- (i) the existing Explanation of sub-section (1) shall be deleted; and
- (ii) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) No notice under sub-section (1) shall be issued after the expiry of five years, and no assessment under this section shall be made after the expiry of eight years, from the end of the relevant year.

(3A) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), where any proceeding relating to an assessment is subject to adjudication before the Tax Board or a competent court or any other authority under this Act, assessment in such matters may be passed within two years from the final

adjudication of such proceedings. The limitation of two years shall be counted from the date of communication of the order of such final adjudication to the assessing authority.”.

12. Amendment of section 27, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 27 of the principal Act, after the existing sub-section (5), the following shall be added, namely:-

“(6) No notice under sub-section (4) shall be issued after the expiry of five years, and no assessment under this section shall be made after the expiry of eight years, from the end of the relevant year.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), where any proceeding relating to an assessment is subject to adjudication before the Tax Board or a competent court or any other authority under this Act, assessment in such matters may be passed within two years from the final adjudication of such proceedings. The limitation of two years shall be counted from the date of communication of the order of such final adjudication to the assessing authority.”.

13. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 38 of the principal Act, for the existing sub-section (7), the following shall be substituted, namely:-

“(7) Notwithstanding anything contained in this Act the State Government may defer the recovery of demand payable by an industrial unit declared sick under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 as amended from time to time (Central Act No. 1 of 1986) to such extent, for such period and on such conditions with regard to the payment or rate of interest as may be deemed proper.”.

14. Insertion of section 51B, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- After the existing section 51A and before the existing

section 52 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“**51B. Rebate of tax.-** Notwithstanding anything contained in this Act, if the State Government is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions as may be specified therein, allow, whether prospectively or retrospectively, a rebate up to the full amount of tax to such dealers or class of dealers as may be specified in the notification.”.

15. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing sub-section (4) of section 53 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(4) Where refund of any amount becomes due to a dealer, he shall be entitled to receive, in addition to the amount of refund, simple interest at such rate as may be notified by the State Government with effect from 1st April of the year immediately following the year to which it relates upto the date of payment:

Provided that where the dealer has paid any amount of tax after the closing of the year and such amount is required to be refunded, no interest shall be payable for the period prior to the date of the deposit of such amount.”.

16. Amendment of section 61, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing sub-section (1) of section 61 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(1) Where any dealer has-

- (a) disclosed taxable turnover of sale of goods in any return furnished by him at a lower rate of tax than the rate of tax as specified under this Act or otherwise furnished inaccurate particulars deliberately in the return furnished by him; or
- (b) incorporated any transaction of sale or purchase in his accounts, registers or

documents required to be maintained by him under this Act at a lower rate of tax than the rate of tax as specified under this Act; or

- (c) concealed any particulars from any return furnished by him; or
- (d) concealed any transactions of sale or purchase from his accounts, registers or documents required to be maintained by him under this Act; or
- (e) failed to get himself registered as required under section 11 of this Act and has avoided tax; or

(f) avoided or evaded tax in any other manner, the assessing authority or any officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the Commissioner, after giving him a reasonable opportunity of being heard, by order in writing, impose upon him by way of penalty in addition to tax payable by him under this Act, a sum equal to two times the amount of tax avoided or evaded.”

17. Amendment of section 67, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In sub-section (1) of section 67 of the principal Act, for the existing expression “be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months and with fine not exceeding rupees five thousand, and for the offences covered under clauses (b), (c), (f), (g), and (i) with a minimum sentence of simple imprisonment of three months.”, the expression

“(I) for offences described under clauses (c) or (i) or offences where amount of demand notice exceeds rupees one crore under clause (d) be punishable with simple imprisonment for a term which may extend upto three years and also be liable to fine but the minimum sentence shall not be less than simple

imprisonment of six months and fine of rupees five thousand; and

- (II) for other offences not covered under clause (I), be punishable with simple imprisonment for a term which may extend upto six months and also be liable to fine.”

shall be substituted.

18. Amendment of section 91, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing section 91 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**91. General Powers of the Commissioner.-** (1) The Commissioner may from time to time, issue such orders, instructions and directions to all officers and persons employed in the execution of this Act as he may deem fit for the administration of this Act, and all such officers and persons shall observe and follow such orders, instructions and directions of the Commissioner.

(2) For the purposes of official use, the Commissioner may, by notice in any newspaper, or in such other manner as he deems proper, call upon all dealers or any class of dealers or persons to furnish such information, statement or return as may be specified in the notice issued in this behalf.

(3) No such orders, instructions, or directions shall be issued under sub-section (1) so as to interfere with the discretion of any appellate authority in the exercise of its appellate functions.

(4) Without prejudice to the generality of the foregoing power, the Commissioner may, on his own motion or on an application by a registered dealer liable to pay tax under this Act, if he considers it necessary or expedient so to do, for the purpose of maintaining uniformity in the work of assessments and collection of revenue, clarify the rate of tax payable under this Act in

respect of goods liable to tax under this Act, and all officers and persons employed in the execution of this Act shall observe and follow such clarification.

(5) No such application under sub-section (4) shall be entertained unless it is accompanied by proof of payment of such fee, paid in such manner, as may be prescribed.”.

19. Amendment of section 95, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 95 of the principal Act, for the existing sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) Where any return, application, communication or intimation is submitted by a dealer or his business manager or by a person, electronically through the official website of the Commercial Taxes Department, such return, application, communication or intimation shall be deemed to be submitted by him, if the dealer or business manager or person has given his consent to use the website for e-filing in the prescribed manner:

Provided that dealer or business manager or person, who has consented to use the official website of the Department shall not retract from or repudiate such e-documents submitted by him through the website.

(3) Where any notice, communication or intimation is served on a dealer or his business manager or any person electronically through the official website of the Commercial Taxes Department, then, said notice, communication or intimation shall not be deemed to be invalid only on the ground that it is not personally signed or digitally signed or is not served properly.”.

20. Amendment of section 96, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- The existing section 96 of the principal Act shall be deleted with effect from 5th day of October, 2014.

CHAPTER III
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES
(IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990

21. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- In section 12 of the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

- (i) in sub-section (1), for the existing expression “Luxury Tax Officer”, the expression “Luxury Tax Officer or any other Officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner in this behalf” shall be substituted;
- (ii) in sub-section (4), for the existing expression “Luxury Tax Officer”, the expression “Luxury Tax Officer or any other Officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner in this behalf” shall be substituted; and
- (iii) in sub-section (7), for the existing expression “Luxury Tax Officer”, the expression “Luxury Tax Officer or any other Officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner in this behalf” shall be substituted.

22. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- In section 20 of the principal Act, for the existing expression “at the rate of two percent of the amount of such tax or demand”, the expression “at such rate as may be notified by the State Government” shall be substituted.

CHAPTER IV
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ELECTRICITY
(DUTY) ACT, 1962

23. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 12 of 1962.- For the existing clause (3) of the proviso to section 3 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), the

following shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted, namely:-

“(3) where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, exempt fully or partially, whether prospectively or retrospectively, from payment of electricity duty payable on energy consumed by any consumer or class of consumers, without any condition or with such condition as may be specified in the notification.”.

CHAPTER V

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ENTERTAINMENTS AND ADVERTISEMENTS TAX ACT, 1957

24. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- In section 3 of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, -

- (i) for existing clause (1) the following shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted, namely:-

“(1) “addressable system” means an electronic device or more than one electronic devices put in an integrated system through which television signals and value added services can be sent in encrypted or unencrypted form, which can be decoded by the device or devices at the premises of the subscriber within the limits of the authorization made, on the choice and request of such subscriber, by the service provider to the subscriber;

(1A) “admission” includes admission as a spectator or as one of an audience and admission for purpose of amusement by taking part in an entertainment and in case of entertainment through

cable television network and direct to home broadcasting service, each connection to a subscriber shall be deemed to be an admission;”;

(ii) for existing clause (2) the following shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted, namely:-

“(2) “admission to an entertainment” includes admission to any place in which the entertainment is held and in case of entertainment through cable service and direct to home broadcasting service, with or without cable connection, each connection to a subscriber shall be deemed to be an admission to an entertainment;”;

(iii) clause (4A) shall be substituted by the following, namely,-

“(4A) “direct to home broadcasting service” means distribution of multi-channel television and radio programmes and similar content by using a satellite system, by providing signals directly to subscriber’s premises without passing through an intermediary or otherwise;”;

(iv) clause (6) shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted by the following, namely, -

“(6) “entertainment tax” means the tax levied and charged under sections 4 and 4AA and includes the additional tax payable under section 6A;”;

(v) in clause (7),-

(i) for the existing punctuation mark “:” appearing at the end of sub-clause (d), the punctuation mark “;” shall be substituted; and

(ii) after the sub-clause (d), so amended and before the existing proviso, the following shall be inserted, namely:-

“(e) any payment made by a person by way of contribution, subscription, installation or connection charges or any other charges, excluding service tax paid under the Finance Act, 1994 (Central Act No. 32 of 1994), collected in any manner whatsoever for cable service;

(f) any payment made by a person by way of contribution, subscription, installation or connection charges or any other charges, excluding service tax paid under the Finance Act, 1994 (Central Act No. 32 of 1994), collected in any manner whatsoever for entertainment through cable service or through direct to home broadcasting service for distribution of television signals and value added services with the aid of any types of addressable system, which connects a television set or computer system at a residential or non-residential place of subscriber’s premises, directly to the satellite or otherwise.”;

(vi) the existing clause (8) shall be substituted by the following, namely:-

“(8) “proprietor”, in relation to any entertainment, includes any person –

(a) connected with the organisation of the entertainment, or

(b) charged with a work of admission to the entertainment, or

- (c) responsible for, or for the time being in charge of, the management thereof, or
- (d) having licence to provide direct to home broadcasting service, by the Central Government under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (Central Act No.13 of 1885), and Indian Wireless Telegraph Act, 1933 (Central Act No. 17 of 1933) and also includes service provider of cable television signals and value added services registered or licensed under the Cable Television Network (Regulation) Act, 1995 (Central Act No.7 of 1995);”;
- (vii) for existing clause (11A), the following shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted, namely:-

“(11A) “subscriber” means a person who receives the signals of television network and value added services from a proprietor at a place indicated by him, without further transmitting it to any other person:

Provided that, in case of further transmission of signals of cable television network, each room or premises where signals of cable television network are transmitted shall be treated as a subscriber:

Provided further that, in case of direct to home broadcasting service, every television set or computer set receiving the signals shall be treated as a subscriber;”.

25. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- In sub-section (1) of section 4 of the principal Act, after the

existing expression “admission to an entertainment,” and before the existing expression “a tax at such rate”, the expression “other than an entertainment to which section 4AA applies,” shall be inserted.

26. Amendment of section 4AA, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- For the existing section 4AA of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“4AA. Levy of Tax on Cable Service and Direct to Home Broadcasting service.- (1) Subject to the provisions of this Act, there shall be charged, levied and paid an entertainment tax on all payments for admission to an entertainment through a direct to home broadcasting service or through a cable service with addressable system or otherwise, other than entertainment to which section 4 applies, at such rates not exceeding twenty percent of the payment for admission for every subscriber, as the State Government may, notify in this behalf.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may fix the rates of tax for the tax payable under this section a fixed amount, as may be notified but not exceeding rupees fifty, per subscriber per month or part thereof.

(3) Nothing in sub section (1) shall preclude the State Government from notifying different rates of entertainment tax for house hold or for different categories of hotels.

(4) Where the subscriber is a hotel or a restaurant, the proprietor may, in lieu of payment under sub section (1), pay a compounded amount to the State Government on such conditions and in such manner as may be prescribed and at such rate as the State Government may, notify and different rates of compounded amount may be notified for the different category hotels and restaurants.”.

27. Amendment of section 4AAA, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- The existing section 4AAA of the principal Act shall be deleted.

28. Amendment of section 5B, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- In sub-section (2) of section 5B of the principal Act, the existing expression “,4AAA” shall be deleted.

29. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- In section 6 of the principal Act,-

(i) In sub-section (1), after the expression “subject to the entertainment tax” and before the expression, “, except with a ticket”, the expression “payable under section 4,” shall be inserted;

(ii) In sub-section (3), after the existing expression, “tax is payable under” and before the existing expression “this Act”, the expression, “section 4 of” shall be inserted.

30. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- For the existing section 8 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**8. Refund.-** (1) Where any amount is refundable to a proprietor or a person under the provisions of this Act, the prescribed authority shall, after having duly verified the fact of deposit of such amount, refund to such proprietor or person such amount in the prescribed manner.

(2) An amount refundable under this Act shall be refunded within thirty days from the date of submission of application and if such amount is not refunded within the aforesaid period of thirty days, the proprietor shall be entitled to get interest with effect from the date succeeding the date of expiry of the aforesaid period upto the date of payment, at such rate as may be notified by the State Government.

(3) Notwithstanding anything contained in this section or in any other law for the time being in force, only the proprietor or the person, who has actually suffered the incidence of tax or has paid the amount, can claim a refund and the burden of proving the incidence of tax so suffered or the amount so paid shall be on the proprietor or the person claiming the refund.”.

31. Amendment of section 9A, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- In clause (a) of section 9A of the principal Act, the existing expression “4AAA” shall be deleted.

32. Amendment of section 10B, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- For the existing section 10B of the principal Act, the following shall be substituted, namely,-

“10B. Penalty for non-payment of Tax on cable service and direct to home broadcasting service.- Where the proprietor of a cable television network providing cable service or a proprietor of a direct to home broadcasting service, contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder or fails to comply with any order or direction issued in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder, shall on conviction, be punishable with a sentence of simple imprisonment not exceeding six months or fine not exceeding two thousand rupees or both.”.

CHAPTER VI

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999

33. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- In sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999), for the existing expression “twenty percent” the expression “sixty five percent”, shall be substituted.

CHAPTER VII**AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998**

34. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) after the existing clause (x) and before the existing clause (xi), the following shall be inserted, namely:-

“(x-a) “Concession agreement” means an agreement involving a grant of rights, land or property by the State Government, local authority, public sector undertaking or other statutory entity to provide some service on commercial basis using such assets of the State Government or a local authority or a public sector undertaking, as the case may be, subject to certain conditions;”;

(ii) after the existing clause (xxi) and before the existing clause (xxii), the following shall be inserted, namely:-

“(xxi-a) “Leave and Licence” means any instrument, whether called leave or licence or called by any other name, by which one person grants to another, or to a definite number of other persons, a right to do, or continue to do, in or upon the immovable property of the granter, something which would, in the absence of such right, be unlawful, and such right does not amount to an easement or an interest in property;” and

(iii) for the existing clause (xxiii), the following shall be substituted, namely:-

“(xxiii) “market value” in relation to any property, which is the subject matter of an instrument, means the price which such property would have fetched or would fetch if sold in open market on the date of execution of such instrument as determined by in such manner and by such authority as may be prescribed by rules made under this Act or the consideration stated in the instrument, whichever is higher;”.

35. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 4 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“4. Payment of stamp duty in cash.- (1)

Notwithstanding anything contained in section 10,-

- (i) any instrument chargeable with the stamp duty may be executed on an unstamped paper; and
- (ii) the stamp duty chargeable on such instrument may be paid or collected in such manner as the State Government may prescribe by rules.

(2) The registering officer or any other officer authorized by the State Government shall, on production of such proof of payment of stamp duty under clause (ii) of sub-section (1) as the State Government may prescribe by rules, endorse on the instrument the amount of stamp duty so paid in such manner as the State Government may prescribe by rules.

(3) An instrument endorsed under sub-section (2) shall be deemed to be duly stamped under this Act and may be used or acted upon as such to all intents and for all purposes.”.

36. Insertion of section 4-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 4 and before the existing section 5 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“4-A. Rounding off of fractions in duty, fee or surcharge payable or allowances to be made.- In determining the amount of duty, surcharge or fee payable, or of the allowances to be made, under this Act, any fraction of 10 rupees, equal to or exceeding 50 paise shall be rounded off to next 10 rupees, and any fractions of less than 50 paise shall be disregarded.”

37. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing sub-clause (ii) of clause (a) of proviso to section 39 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(ii) a penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but such penalty shall not exceed to two times of the deficient stamp duty.”

38. Amendment of section 43, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 43 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“43. Collector's power to refund penalty under sub-section (1) of section 42.- Where a copy of an instrument which has been impounded only because it has been written in contravention of section 13 or section 14 is sent to the Collector under sub-section (1) of section 42, he may refund whole penalty paid in respect of such instrument.”

39. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 44 of the principal Act, for the existing expression “a penalty of

one hundred rupees; or, if he thinks fit an amount not exceeding ten times the amount of the proper duty or of the deficient portion thereof, whether such amount exceeds or falls short of one hundred rupees:”, the expression “a penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty:” shall be substituted.

40. Amendment of section 51, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 51 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) On receipt of the instrument under sub-section (1) or (2), the Collector shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and after holding an enquiry in the prescribed manner, determine the market value and stamp duty including the penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty, and surcharge, if any, payable thereon and if the amount of stamp duty including penalty and surcharge, if any, so determined exceeds the amount of stamp duty including penalty and surcharge, if already paid, the deficient amount shall be payable by the person liable to pay the stamp duty including penalty and surcharge, if any.”; and

- (ii) for the existing sub-section (5), the following shall be substituted, namely:-

“(5) The Collector may, *suo motu* or on a reference made under sub-section (4) call for and examine any instrument not referred to him under sub-section (1) or (2), from any person referred to in sub-section (4) or the executant or any other person for the purpose of satisfying himself as to correctness of the market value of the property, and if after such examination, he has reason to believe that the market value of such property has not been truly set forth in the instrument, he may determine in accordance with the procedure provided in sub-section (3) the market value and the amount of stamp duty, if any, payable thereon together with a penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty, which shall be payable by the person liable to pay the stamp duty and penalty.”.

41. Insertion of section 52-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 52 and before the existing section 53 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“**52-A. Reopening of *ex parte* orders.-** (1) Where an order has been passed by the Collector *ex parte* under this Act, the aggrieved person may apply to the Collector for reopening of such order within thirty days from the date of communication of such order to him on the grounds that he did not receive the notice or summons issued to him in the matter or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him.

(2) If the Collector is satisfied with the ground specified in the application made under sub-section (1), he shall reopen the *ex parte* order and after hearing the aggrieved person may pass such order as he may think proper in the circumstances of the matter within three months from the date of receipt of the application under sub-section (1).”.

42. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 53 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) On receipt of document or instrument under sub-section (1) or (2), the Collector shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, determine the correct nature of the document or instrument and the stamp duty including the penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty, and surcharge, if any, payable thereon and may require the payment of the stamp duty including penalty and surcharge, if any, so determined or the amount required to make up the same.”; and

(ii) for the existing sub-section (5), the following shall be substituted, namely:-

“(5) The Collector may, *suo motu* or on a reference made under sub-section (4) or otherwise call for and examine any document or instrument not referred to him under sub-

section (1) or (2), from any person referred to in sub-section (4) or the executant or any other person, which has been registered and returned to the executant or any other person for the purpose of satisfying himself as to the correctness with regard to the nature of the document or instrument and if he is satisfied, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, that the nature of document or instrument had not correctly been mentioned or determined, he may determine the correct nature of the document or instrument and the stamp duty, if any, payable thereon together with a penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty, and require payment of stamp duty including penalty, if any, so determined or the amount require to make up the same.”.

43. Insertion of section 56-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 56 and before the existing section 57 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“56-A. Power of Inspector General of Stamps to reduce or waive interest and penalty.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, Inspector General of Stamps may on an application made in this behalf by a defaulter, reduce or waive the amount of interest or penalty or both upto a maximum limit of rupees twenty five thousand if the defaulter agrees to deposit the remaining amount of duties, penalties, interest and any

other sums required to be paid by him under this Act within thirty days from such order.

(2) If the defaulter fails to deposit the amount specified in sub-section (1) within the time specified in that sub-section, the order of reduction or waiver passed under sub-section (1) shall stand withdrawn on the expiry of aforesaid period of thirty days.”

44. Amendment of section 72, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 72 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“72. Interest on duty, surcharge or penalty.- (1)

Where any amount of duty or surcharge is recoverable from a person as a result of any order passed in any proceeding under this Act (including determination, appeal, revision, rectification or otherwise), he shall be liable to pay interest at the rate of twelve per cent compounded per annum on the amount of duty or surcharge from the date of execution of such instrument until the date of payment of such amount.

(2) Where any amount of penalty is recoverable from a person as a result of any order passed under this Act, he shall be liable to pay interest at the rate of twelve percent compounded per annum on the amount of such penalty from the date of such order until the date of payment of such amount.”

45. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

(i) for the existing clause (f) of Article 5, the following shall be substituted, namely:-

“(f) If relating to any advertisement made for promotion of any product; or programme or event with an intention to make profits

or business out of it,-

(i) if the amount agreed does not exceed rupees ten lacs;

Two rupees and fifty paise for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract subject to minimum of rupees 100.

(iii) in any other case

Five rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract.

(ff) If relating to conferring exclusive rights of telecasting, broadcasting or exhibition of an event or film,-

(i) if the amount agreed does not exceed rupees ten lacs;

Two rupees and fifty paise for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract subject to minimum of rupees 100.

(ii) in any other case

Five rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract.”;

(ii) for the existing Article 5-A, the following shall be substituted, namely:-

“5-A. Record of Transaction (Electronics or Otherwise)

effected by a trading member through the association or stock exchange referred to in

section 2, clause (ia) and
(xxxvii),-

- (a) if relating to sale and purchase of Government securities. Fifty rupees for every rupees one crore or part thereof of the value of security.
- (b) if relating to purchase or sale of securities, other than those falling under item (a) above-
- (i) in case of delivery 0.01 percent of the value of security.
- (ii) in case of non delivery 0.01 percent of the value of security.
- (c) if relating to futures and options trading. 0.01 percent of the value of futures and options trading.
- (d) if relating to forward contracts of commodities traded through an association or otherwise. 0.01 percent of the value of the forward contract.

Explanation.- For the purpose of clause (b), securities shall have the same meaning as defined by the Securities Contract (Regulation) Act, 1956.”;

- (iii) after the existing Article 20 and before the existing Article 21, the following Article shall be inserted, namely:-

“**20-A.Concession agreement** as defined by section 2(x-a). (i) Rupees 2 lacs, where the total capital investment

Explanation.-

Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, a concession agreement executed prior to the date of commencement of the Rajasthan Finance Act, 2014 (Act No.---- of 2014), shall be chargeable under this Article and shall be stamped within 30 days of such commencement.

- is upto rupees 10 crore;
- (ii) Rupees 10 lacs, where the total capital investment exceeds rupees 10 crore but does not exceed rupees 50 crore;
- (iii) Rupees 40 lacs, where the total capital investment exceeds rupees 50 crore but does not exceed rupees 200 crore;
- (iv) Rupees 1 crore, where the total capital investment exceeds rupees 200 crore but does not exceed rupees 500 crore;
- (v) Rupees 2 crore, where the total capital investment exceeds rupees 500 crore but does not exceed rupees 1000 crore;
- (vi) Rupees 5 crore, where the total capital investment exceeds rupees

1000 crore but
does not exceed
rupees 2500
crore; and

(vii) Rupees 10 crore,
where the total
capital investment
exceeds rupees
2500 crore.”;

(iv) for the existing clause (iii) of Article 21, the following shall be substituted, namely:-

“(iii) if relating to the Two percent on that part
order under section 394 of the net worth of the
of the Companies Act, transferor company which
1956 (Central Act No. 1 is equal to the proportion
of 1956) or section 44- the value of the
A of the Banking immovable property of the
Regulation Act, 1949 transferor company
(Central Act No. 10 of situated in the State of
1949) in respect of Rajasthan bears to the
amalgamation, demerger value of the whole of
or reconstruction of a immovable property of the
company. transferor company; in
addition to the stamp duty
paid on the instrument
elsewhere, if any.”;

(v) after the clause (iii), so amended, and before the “Exemption” of Article 21, the following clause shall be inserted, namely:-

“(iv) if relating to Five percent on the market
Transferable value of the Transferable
Development Rights Development Rights equal to
(TDR) the market value of the
corresponding portion of the

property leading to such Transferable Development Rights, which is the subject matter of conveyance; or consideration for such conveyance; whichever is higher.”;

- (vi) the existing Explanation:- (ii) of Article 21, shall be deleted; and
- (vii) After the existing Article 33 and before the existing Article 34, the following Article shall be inserted, namely:-

“33-A. Leave and Licence Agreement One rupee for every hundred rupees or part thereof on the whole amount payable or deliverable plus the total amount of fine or premium or money advanced or to be advanced irrespective of the period for which such leave and licence agreement is executed.”.

CHAPTER VIII

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

46. Amendment of section 4-D, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- For the existing section 4-D of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951(Act No. 11 of 1951), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“4-D. Levy of Green Tax.- (1) There shall be levied and collected a cess called “green tax”, in addition to

the tax levied under sections 4, 4-B and 4-C of the Act, on such vehicles suitable for use on road as specified in column (2), at such time as specified in column (3), of the table below at such rates, not exceeding the maximum rates specified in column (4) of the table, as may be fixed by the State Government by notification in the Official Gazette, for the purpose of implementation of various measures to control air pollution.

TABLE

S. No.	Class of the Vehicle	Time	Maximum rate of cess (in Rupees)
1	2	3	4
1.	Non-transport vehicle		
	(a) two wheelers	At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central	1000
	(b) four wheeled diesel driven vehicles		
	I. Light Motor Vehicle with engine capacity up to 1500 cc	Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of certificate of registration under sub-section (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988).	5000
	II. Light Motor Vehicle with engine capacity above 1500 cc and up to 2000 cc		10000
	III. Light Motor Vehicle with engine capacity above 2000 cc with seating capacity up to 5		10000

	IV. Light Motor Vehicle with engine capacity above 2000 cc with seating capacity more than 5		25000
	(c) four wheeled petrol/ LPG driven vehicles		
	I. Light Motor Vehicle with engine capacity up to 1500 cc		2000
	II. Light Motor Vehicle with engine capacity above 1500 cc and upto 2000 cc		2500
	III. Light Motor Vehicle with engine capacity above 2000 CC with seating capacity up to 5		3000
	IV. Light Motor Vehicle with engine capacity above 2000 CC with seating capacity more than 5		5000
	(d) other than above fuel driven four wheeled vehicles.		1000

	(e) other Non-transport vehicles.		2000
2.	Transport vehicle	At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of fitness certificate under section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988)	2000

(2) The provisions of this Act and the rules made there under excluding those relating to refund of tax shall, so far as may be, apply in relation to the imposition, payment, computation and recovery of the cess payable under sub-section (1), as they apply to the imposition, payment, computation and recovery of tax payable under this Act.”.

47. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In sub-section (1) of section 5 of the principal Act,-

- (i) in second proviso for the existing expression “three”, the expression “six” shall be substituted; and
- (ii) the existing third proviso shall be deleted.

CHAPTER IX**AMENDMENT IN THE RAJASTHAN EXCISE ACT, 1950****48. Deletion of section 25, Rajasthan Act No. 2 of 1950.-**

The existing section 25 of the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act No. 2 of 1950), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, shall be deleted.

49. Amendment of section 42, Rajasthan Act No. 2 of 1950.- In clause (h) of section 42 of the principal Act, for the punctuation mark “.”, appearing at the end, the punctuation mark “;” shall be substituted and after clause (h), so substituted, the following clause shall be inserted, namely:-

“(i) prescribing the norms of production of excisable articles from any kind of raw material.”.

50. Insertion of section 62A, Rajasthan Act No. 2 of 1950.- After the existing section 62 and before the existing section 63 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“**62A. Offence by company.-** (1) Where an offence under this Act which has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was incharge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that where a company has different establishments or branches or different units in any establishment or branch, the concerned Head or the person incharge of such establishment, branch, unit nominated by the company as responsible for excisable articles shall be liable for contravention in respect of such establishment, branch or unit:

Provided further that nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any

punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section,-

- (a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm.”.

51. Amendment of section 67, Rajasthan Act No. 2 of 1950.- For the existing clause (a) of sub-section (1) of section 67 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

- “(a) under section 54 or section 54B or section 54D or section 57 or section 59 or section 62A or section 63 except on his own knowledge or suspicion or on a complaint or the report of an Excise Officer; or”.

CHAPTER X

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005

52. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 7 of 2005.- After clause (k) and before clause (l) of section 2 of the Rajasthan Fiscal Responsibilities and Budget Management Act, 2005

(Act No. 7 of 2005), hereafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following clause shall be inserted, namely:-

“(kk) “Rajasthan Development and Poverty Alleviation Fund” means a Fund created under section 6A;”.

53. Insertion of section 6A, Rajasthan Act No. 7 of 2005.- After the existing section 6 and before the existing section 7 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“6A. Rajasthan Development and Poverty Alleviation Fund.- (1) There shall be created a fund called “Rajasthan Development and Poverty Alleviation Fund” (hereinafter referred to as the Fund) in the Public Account of the State.

(2) Tax receipts of the State, comprising of its own taxes and share in central taxes, in any year in excess of 17.5% over previous year and any other revenue receipts, as the State Government may think fit, shall, if the State Legislature by appropriation made by law in this behalf so provides, be credited to the Fund in the ensuing year.

(3) The Fund may be used by the State Government only for the following purposes:-

- (a) to meet revenue or capital expenditure in a year wherein tax receipts of the State, comprising of its own taxes and share in central taxes, are estimated to be less than 10% over the previous year;
- (b) to meet expenditure on developmental schemes or poverty reduction programmes.

(4) The Fund shall not be used for meeting non-developmental or establishment expenditure as defined by Comptroller and Auditor General of India.”.

CHAPTER XI

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CESS

54. Extent and commencement.- (1) This Chapter shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(2) This Chapter shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

55. Definitions.- (1) In this Chapter, unless the context otherwise requires,-

- (a) “cess” means the infrastructure development cess levied under section 56;
- (b) “infrastructure” means projects relating to roads, bridges, flyovers, metro-railway, electricity generation plants, wind mills, solar plants, transmission and distribution lines, electric sub-stations, water supply system, water filtration and treatment plants, sewage treatment plants, drainage pipelines, sanitation facilities, irrigation structures, irrigation canals and reservoirs, water harvesting and water conservation, industrial corridors, investment and manufacturing zones, special economic zones, education and research, sports, health care, tourism, transportation and such other schemes or projects as may be specified by the State Government from time to time;
- (c) “prescribed” means prescribed by rules made under this Chapter;
- (d) “purchase price”, for the purposes of levying cess under this Chapter, means the amount payable by a dealer as consideration for the purchase of goods including all statutory levies payable; and

(2) Words and expressions used but not defined in this Chapter shall have the meaning assigned to them under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003).

56. Levy and collection of cess.- (1) Subject to the other provisions of this Chapter and the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), with effect from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify, there shall be levied and collected a

cess on sale or purchase of such goods, at such rates, not exceeding six per cent of the sale or purchase price of the goods, as may be notified by the State Government.

(2) The cess leviable under sub-section (1) shall be in addition to any tax leviable on the sale or purchase of goods specified in sub-section (1) under any other law for the time being in force.

57. Application of proceeds of cess.- The proceeds of the cess levied under this Chapter, reduced by the cost of collection as determined by the State Government, shall, if State Legislature by appropriation made by law in this behalf so provides, be utilized for all or any of the following objects namely:-

- (a) development of infrastructure; or
- (b) maintenance, renovation or management of infrastructure projects; or
- (c) financing infrastructure development projects.

58. Power to exempt.- If the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, exempt fully or partially, whether prospectively or retrospectively, from payment of cess payable under this Chapter by any person or class of persons, without any condition or with such condition as may be specified in the notification.

59. Furnishing of returns.- Every person shall furnish return in such manner and at such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, to such officer or authority, as may be prescribed.

60. Applicability of the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003.- Save as otherwise provided in this Chapter, the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) and the rules made thereunder, relating to assessment, collection, interest, penalty, recovery, refunds, appeal and revision shall, *mutatis mutandis*, apply in respect of cess leviable under this Chapter.

61. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Chapter.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-

- (a) the manner in which accounts relating to the proceeds of the cess shall be maintained;
- (b) the manner in which the proceeds of the cess may be applied on the objects specified in section 57;
- (c) the determination of the cost of collection of the cess; or
- (d) generally to carry out the purposes of this Chapter.

(3) All rules made under this Chapter shall be laid, as soon as may be after they are made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following. The House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, howsoever, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.